

कार्यालय
महात्मा जवाहर लाल नेहरू
नगर, दिल्ली-११००५५

59

1907-1910

১. প্রকল্পের নাম: প্রকল্পের নাম
 ২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের উদ্দেশ্য
 ৩. প্রকল্পের কার্যক্রম: প্রকল্পের কার্যক্রম
 ৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন: প্রকল্পের বাস্তবায়ন
 ৫. প্রকল্পের মূল্যায়ন: প্রকল্পের মূল্যায়ন
 ৬. প্রকল্পের প্রভাব: প্রকল্পের প্রভাব
 ৭. প্রকল্পের প্রাপ্যতা: প্রকল্পের প্রাপ্যতা
 ৮. প্রকল্পের প্রাপ্যতা: প্রকল্পের প্রাপ্যতা
 ৯. প্রকল্পের প্রাপ্যতা: প্রকল্পের প্রাপ্যতা
 ১০. প্রকল্পের প্রাপ্যতা: প্রকল্পের প্রাপ্যতা

जो कि ०१.०१.२०१३ से लागू होना है।

[illegible]

... ..

2024
19/4/24

19.

2011

27.3.18

CCP/NS
APR 18-11

CCPD

वर्ग - 2018

26 MAR 2018

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

26/3/18

पीसी-VII सं. 97

आरबीई सं.: 39/2018

फाइल सं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1

नई दिल्ली, दिनांक: 19.03.2018

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(आक सूची के अनुसार)

North Eastern Railway
Gorakhpur

विषय:- रेलवे कर्मचारियों को 01.01.2018 से प्रभावी संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता प्रदान करना।

अधोदरताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 06.10.2017 के पत्र आरबीई सं. 137/2017 (फाइल सं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1) का अवलोकन करने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को 01 जनवरी, 2018 से मूल वेतन के 5% की नैटजूदा दर से बढ़ाकर 7% किया जाएगा।

2. सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" शब्द का आशय वे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में प्राप्त वेतन से है, परंतु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।

3. महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का विशिष्ट तत्व ही रहेगा और इसे नियम 1303 (एफआर 9(21)), भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, वॉल्यूम-II (छठा संस्करण - 1987) - दूसरा भाग पुनर्मुद्रण 2005 की परिधि के भीतर वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्तों के कारण भुगतान, जिसमें 50 पैसे और इससे अधिक पैसे की राशि शामिल हो तो उसे अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किया जाए और 50 पैसे से कम की राशि पर ध्यान न दिया जाए।

5. महंगाई भत्ते के वकाया का भुगतान मार्च, 2018 के वेतन के वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

954

9/3/18

APR 18-11

62/4/12/11
(जया कुमार जी)

उप निदेशक, वेतन आयोग-VII
रेलवे बोर्ड

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

PC-VII No.- 97

RBE No.: 39/2018

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1

New Delhi, dated: 19.03.2018

The General Manager/CAOs(R),
All India Railways & Production Units,
(As per mailing list)

**Sub: - Grant of Dearness Allowance to Railway employees - Revised
Rates effective from 01.01.2018.**

The undersigned is directed to refer to this Ministry's letter RBE No 137/2017 dated 06.10.2017 (F. No. PC-VII/2016/I/7/2/1) on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of 5% to 7% of the basic pay with effect from 1st January, 2018.

2. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.
3. The Dearness Allowance will continue to be distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of Rule 1303 (FR 9(21)), Indian Railway Establishment Code, Volume -II (Sixth Edition -- 1987) -- Second Reprint 2005.
4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2018.
6. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.


Jaya Kumar G
Deputy Director, Pay Commission-VII,
Railway Board

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1

New Delhi, dated: 19.03.2018

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.


For Financial Commissioner, Railways